न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 60/2018

1 श्रीमती केशरी देवी पत्नी महेश कुमार जाति कुमावत निवासी खोरी ब्राहमण पटवार क्षेत्र रघुनाथगढ़ तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मदनलाल पुत्र डूंगाराम जाति ब्राहमण निवासी खोरी ब्राहमणान पटवार क्षेत्र रघुनाथगढ़ तहसील व जिला सीकर।
2 तहसीलदार तहसील कार्यालय सीकर।

रेस्पोडेंट

प्रथम विविध अपील निर्णय दिनांक 31.05.2018
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर मुकदमा
नम्बर 66/2016 अनुवानी केशरी देवी बनाम मदनलाल
अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिति :

1. श्री नवरंगलाल बीवाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रामचन्द्र सिंह मूण्ड, अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री मुकेश पारीक, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 5-1-2023

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 66/2016 में पारित निर्णय दिनांक 31.05.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वाके ग्राम खोरी ब्राहमणान पटवार क्षेत्र रघुनाथगढ़ तहसील व जिला सीकर में अवस्थित आराजी खसरा नम्बर 303 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 304 रकबा 1.71 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा1.74 हैक्टेयर अवस्थित है जिसकी एकमात्र खातेदार काबिज काश्तकार अपीलांट है अपीलांट की उक्त कृषि भूमि में आने जाने के लिए अपनी कृषि फसलो को लाने व ले जाने के लिए लडढ़ा गाड़ी ट्रेक्टर इत्यादि आने जाने के लिए रास्ता ना तो मौके पर मौजूद है व न ही राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता मौजूदहै इस कारण अपीलांट ने अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु अपनी कृषि भूमि के दक्षिण में अवस्थित रेस्पोडेंट की कृषि भूमि खसरा नम्बर 302 रकबा 1.40 हैक्टेयर की पश्चिमी सींव के सहारे–सहारे दक्षिणसे उतर की तरफ 22 फुट चौडा रास्ता कृषि काश्त करने हेतु व राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जाना हेतु विचारण न्यायालय में आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पेश किया जिसे बिना कोई अपीलांट को सुने ही दिनांक 31.05.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट रघुनाथगढ़ में अपीलांट का आवेदन खारिज किया गया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त की अवहेलना करते हुये अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय की पत्रावली मे तहसीलदार की

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

मौका रिपोर्ट संलग्न है किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय में इस रिपोर्ट का कोई हवाला नही है। अत अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपीलांट के खेत के उत्तर में निकटतम रास्ता उपलब्ध है। अपीलांट ने रेस्पोडेंट को हैरान परेशान करने के लिये अपील प्रस्तुत की है। अपील सारहीन है अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 27.04.2018 को आगामी तारिख पेशी 20.08.2018 नियत की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा बिना सूचना के पत्रावली नियत तिथि से पूर्व दिनांक 31.05.2018 को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट में रखकर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा धारा 251ए में रास्ता चाहा गया है। विधि अनुसार चाहा गया रास्ता निकटतम नही होने की स्थिति में विचारण न्यायालय को निकटतम दूरी का रास्ता प्रदान करने की कार्यवाही करनी चाहिए थी। ऐसा नही कर विचारण न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर धारा 251ए के प्रावधानों के अनुरूप अपीलांट को निकटतम रास्ता प्रदान करने की कार्यवाही करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.01.2023 को उपस्थिति देवें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय आज दिनांक 5-1-2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर